ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 211-213

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

# मनुवादी संरचना में महिला व दलित महिला की स्थिति

शिप्रा सिंह

शोध अध्येत्री– सामाजिक विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली भारत

Received-24.11.2022, Revised-30.11.2022, Accepted-05.12.2022 E-mail: shiprasinghjnu.@gmail.com

***सारांशः इस शोध पत्र के जरिये हम मनुवादी संरचना में सामान्य रूप से महिलाओं की और प्रमुख रूप से दलित महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने का एक छोटा सा समाजशास्त्रीय प्रयास करेंगे। महिलाओं और दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक भिन्नता के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की अपवित्रता, अस्पृश्यता, अस्वीकृति और बहिष्कार की निरंतर बनी चिरायु स्थिरता के कारणों को उजागर करेंगे।***

***कुंजीभूत शब्द– समाजशास्त्रीय प्रयास, दलित महिलाओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, अपवित्रता, अस्पृश्यता, अस्वीकृति।***

भारतीय समाज में सामान्य रूप से महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से शोषित किया गया है। महिलाओं का यह बहिष्करण और शोषण सामान्य रूप से लिंग और मनुवादी से निकलता है। हालांकि, दलित महिलाएं, भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उन्हें अभी भी जाति, वर्ग लिंग और मनुवादी के नाम पर सामाजिक रूप से बहिष्कृत, भेदभाव और शोषण किया जाता है। सभी सामाजिक–आर्थिक संकेत भारतीय समाज में विशेष रूप से ग्रामीण भारत या गाँव भारत में दलित महिलाओं की विकट परिस्थितियों को पूरी तरह से प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में कुमार कहते हैं कि "जाति व्यवस्था में उनके संरचनात्मक स्थान के कारण दलित महिलाओं का शोषण और बहिष्कार सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है।" (Ibid)। मलिक (2003:11) एक तरह से कुमार (2009) का समर्थन करते हैं।

हम अपने इस शोध के माध्यम से ब्राह्मणवाद और उनके वेदों पर आधारित पितृसत्तात्मक संरचना में दलित महिलाओं की कमजोर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को समझने व उनका विश्लेषण का प्रयास करेगें। दलित महिला की स्थिति की अवधारणा को विस्तृत रूप में समझने के लिए सर्वप्रथम हमें मनुवादी संरचना के अर्थ और प्रक्रिया को समझना अत्यंत आवश्यक है।

इस संदर्भ में कुछ प्रमुख विचारकों ने अपने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं। जैसे– देसाई और ठक्कर (2001: 1), "महिलाओं का इतिहास रैखिक नहीं है और न ही यह एक अच्छी तरह से संगठित संरचना है। यह वास्तव में एक अभिन्न अंग है, हालांकि ज्यादातर सभ्यता की गाथा का अदृश्य हिस्सा है। इसके धागें संस्कृति, समाज, राज्य और इन सबसे ऊपर लोगों के जीवन के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। "यहाँ, जब हम इन प्रवृत्तियों को देखते हैं तो हमें भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में लाना होगा। वर्ना और जाति हिंदू समाज में स्थिति और भूमिका सौंपने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं (घुरेई 1932, ड्यूमॉन्ट 1970, श्रीनिवास 1962)। दो बार पैदा हुए पुरुष को सभी अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए थे, यहां तक कि दो बार पैदा हुए हिंदूओं से संबंधित महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, राजनीति में भागीदारी और निर्णय लेने से वंचित किया गया था, और निश्चित रूप से कामुकता तय करने के लिए, अपने जीवनसाथी चुनने के लिए (अम्बेडकर) 1979, मुखर्जी 1964)। इसलिए जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार प्रणाली द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंध ने भारतीय महिलाओं की असमानता और अधीनता को समाप्त कर दिया है।

ब्राह्मणवाद के नियमों पर आधारित मनुवादी संरचना आखिर में किस प्रकार एक दलित महिला की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है? यह जानने के लिए हमें समग्र रूप से भारतीय समाज में एक मजबूत मनुवादी परंपरा और सामंती व्यवस्था को समझना होगा, जिसने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा के निम्न स्तर के अलावा, महिलाओं की जानकारी और जागरूकता की कमी भी उनके विकास और विकास को बाधित करती है। वर्तमान में कई सामाजिक बुराई प्रचलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को प्रभावित करती हैं और उनकी स्वतंत्रता और जीवन को प्रभावित करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है दहेज, कन्याभ्रूण हत्या, बाल विवाह और घरेलू हिंसा आदि। इसके अलावा, वैश्वीकरण और उदारीकरण के दबावों ने भी महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि समुदाय ने उत्पादन प्रक्रिया में लगातार अपनी भूमिका को हाशिए पर रखा है। हाला की महिलाओ और दलित महिलाओं की स्थिति की सशक्त बनाने के लिए सरकार के कार्यक्रम, नीतियां, कानून आदि बहुत प्रभावी और कार्यात्मक रहे हैं परन्तु मनुवादी संस्कृतियाँ सामाजिक कार्यों, धार्मिक प्रथाओं, कानूनी कोड और राजनीतिक संगठनों के माध्यम से पुरुषों के विशेषाधिकारों को बनाए रखने के कारण महिलाओं की स्थिति सुधारने की बजाय और दयनीय होती जा रही हैं। मनुवादी महिलाओं की मात्र अधीनता नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं अधिक है। हालाँकि सभी पुरुष मनुवादी व्यवस्था में शक्तिशाली नहीं हैं, उदाहरण

**अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

के लिए, गरीब, दलित और भारतीय संदर्भ में दलित और निम्न जाति के पुरुष। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उनके पुरुष समकक्षों के बराबर नहीं है, बल्कि उन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, जो उन्हें उनके पुरुष समकक्षों के अधीनस्थ, अधीन, निपुण, हीन और असमान बनाती है। यह हालिया अतीत का नहीं है बल्कि सदियों से उनकी उपस्थिति को दबाया गया है। महिलाएं गर्भ से कब्र तक क्रूरता के अधीन हैं।

समाज सुधारकों की एक आकाशगंगा ने भारतीय महिलाओं की दुर्दशा पर अपनी चिंता दिखाई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेलरामजी एम। मालबारी, एम.जी. रांडे, गोपाल हरि देशमुख, प्रतिद्वंद्वी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और पिछड़े वर्ग के समाज सुधारकों ज्योति राव फुले, गोपाल गणेश अगरकर, पंडिता रमाबाई ने उन सभी पुरानी परंपराओं को चुनौती दी, जिन्होंनें भारतीय महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न की है (ibid: 3–4) । बाद में 1910 से कई सामाजिक संगठनों ने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के मुद्दों (फोर्ब्स 2002: 365–6) को लेना शुरू कर दिया। इन संगठनों का नेतृत्व स्वयं महिलाओं ने किया था और इसलिए वे अपनी आवाज उठाने के लिए भारतीय महिलाओं के जीवन में गहराई से झांक सकती थीं और इसीलिए वे अपने अधिकारों के लिए खूब लड़ी भी।

पारंपरिक नियमों और रीति–रिवाजों के आधार पर महिलाओं को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए कई कानून पारित किए गए। 1829 में सती प्रथा के खिलाफ पहले कानून पारित किया गया। बाद में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, भारत सरकार अधिनियम 1935, (भारतीय महिलाओं के लिए विस्तारित मताधिकार), कारखाना 1948 आदि। कुछ ही नाम रखने के लिए भी अधिनियमित किया गया था। इन सभी अधिनियमों ने भारतीय महिलाओं को एक समान दर्जा देने की कोशिश की। स्वतंत्रता के बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आदि ने भारत में महिलाओं को उनकी स्थिति बढ़ाने में मदद की। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में पहली बार हिंदू विवाह को एक अनुबंध बनाया गया, इससे पहले यह एक संस्कार था। हालाँकि, यह सच है कि भारतीय महिलाएँ स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अधिकारों के बराबर पहुँच से वंचित ही रहीं हैं। कम लिंगानुपात इस बात को और प्रमाणित करता है कि बालिकाओं को अभी भी पसंद नहीं किया गया है।

सवर्ण जाति की महिलाओं की अपेक्षा दलित महिलाएं अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि उनका जाति के नाम पर और अधिक शोषण होता है। उनका शोषण जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर किया जाता है। वे अस्पृश्यता, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी अस्वीकार, श्रम बाजार में अलगाव की बदसूरत रूप के शिकार हुए हैं। इन सभी ने उनके बीच गरीबी को समाप्त करने और जीवन जीने के तरीकें को अमानवीय बना दिया है। सवर्ण जाति के लोग अक्सर नाराज होते हैं, भेदभाव करते हैं, मानवीय प्रतिष्ठा से वंचित होते हैं और अमानवीय व्यवहार के अधीन होते हैं।

तभी तो जब किसी सामान्य जाति या उच्च जाति की महिला के साथ बलात्कार सिर्फ उस महिला का शोषण कहलाता है लेकिन किसी दलित जाति की महिला के साथ बलात्कार ना केवल उस दलित महिला का मानसिक व शारीरिक शोषण कहलाता है, बल्कि वह पूरे दलित समाज लिए के जाति के नाम पर एक चेतावनी और अपमानजनक स्थिति को पैदा करता है और यह पूरे दलित समाज के लिए एक कठोर सबक बन जाता है, जिसे पूरे दलित समाज को सहन करना पड़ता है। दलित महिलाओं के ऊपर होने वाले शोषण के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे– यौन शोषण और जमींदारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य रूप लगभग दैनिक संबंध हैं। भारतीय समाज में जाति सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी हासिल करती है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सामाजिक असमानता, भेदभाव, शोषण और बहिष्कार मौजूद था और अभी भी भारतीय समाज में कायम है। जातियों के बीच असमानताओं को हिंदू वफादार द्वारा दैवीय रूप से व्यवस्थित प्रा.तिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है और पवित्रता और प्रदूषण के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है (Dumont 1970)।

इसलिए जब तक समानता दलित महिलाओं को समाज में पूरी तरह से समान अधिकार व समान मौका नहीं मिलता, तब तक आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं और दलित महिलाओं का इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। यहाँ केवल सत्ता के पुनर्वितरण का सवाल नहीं है, यह मूल्य परिवर्तन का भी सवाल है। अब समस्या यह है कि दलित महिलाएं सामान्य जाति की महिलाओं से अलग हैं। उन्हें अलग से संबोधित करने की आवश्यकता है। यह अध्ययन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार और नागरिक समाज द्वारा उठाए गए माप को समझने की कोशिश करेगा। विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम हैं, जो सत्ता के पुनर्वितरण के लिए शुरू किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जो इस शोध को जानने में अधिक रुचि रखता है कि क्या दलित और गैर दलित महिलाओं को समान नीति के साथ सशक्त बनाया जा सकता है या उन्हें सशक्त बनाने के

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

लिए कोई और तरीका होना चाहिए, क्योंकि वे बिल्कुल अलग तरह के हैं। महिलाओं के मुद्दें पर दलित और सामान्य जाति की महिलाओं को संबोधित करने पर ज्यादा काम नहीं किया गया है। इसलिए यह कार्य आज भी मौजूद ब्राह्मणवाद व वेदों पर आधारित मनुवादी में संरचना दलित महिला की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास होगा।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गीता, वी 2007: पितृसत्ता, स्ट्री ए इंप्रिंट ऑफ भटकल।
2. चक्रवर्ती, उमा, (2003), "जेंडरिंग कास्टः थ्रू ए फेमिनिस्ट लेंस"A STREE 16, सदर्न एवेन्यू, कलकत्ता।
3. चौधुरी मैत्रेयी, (संA) (2004), "भारत में नारीवाद"। काली महिलाओं के लिए, नई दिल्ली।
4. राव, अनुपमा, (संA) (2006), "जेंडर एंड कास्ट"। काली महिलाओं के लिए, नई दिल्ली।
5. रेगे, शर्मिला (2006), राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडरः नैरेटिंग दलित वुमनस टेस्टिमनीज, जुबान, नई दिल्ली।
6. ओमवेद्ट गेल पी (2003): द डाउनट्रोडेन द डाउनट्रोडेन, इन अनुपमा राव (एड)। लिंग और जाति श्रृंखलाः समकालीन नारीवाद में मुद्दे, नई दिल्लीः महिलाओं के लिए काली।
7. सच्चिदानंद और कुमार नीरज (2004): अनुसूचित जाति की महिलाएं भंवर में बदल जाती हैंः बिहार का मामला,IASSI त्रैमासिकः टवस.23, नंबर 1.
8. कुमार विवेक 2008: बाबासाहेब अम्बेडकरः पीजी जोगदंड में सामाजिक न्याय का संकल्पना और संचालन।
9. 2009: भारतीय जाति व्यवस्था, मीडिया और महिलाओं के आंदोलन में दलित महिलाओं को स्थान देना।
10. ग्रे, मैरी (2005): दलित महिला और वैश्विक पूंजीवाद नारीवादी धर्मशास्त्र की दुनिया में न्याय के लिए संघर्षः 14 127–149.
11. गुप्ता दीपांकर, (सं।) 1991: सामाजिक स्तरीकरण, दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पीपी 13–14.
12. कुमार, विवेक, (2002), "भारत में दलित नेतृत्व"। कल्पनाज प्रकाशन, नई दिल्ली।
13. (2009), भारतीय जाति व्यवस्था, मीडिया और महिला आंदोलन में दलित महिलाओं का पता लगाना।
14. राम, नंदू, (1995), "बियॉन्ड अंबेडकरः एसेज ऑन दलित्स इन इंडिया" : हर आनंद प्रकाशन, नई दिल्ली।
15. थोराट, एस : 2005: जाति, सामाजिक बहिष्कार और गरीबी संबंध – संकल्पना, मापन और अनुभवजन्य साक्ष्य, "पीएसीएस के लिए संकल्पना पत्र, नई दिल्ली, अक्टूबर।

*****